



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 157 राँची, मंगलवार,

7 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

13 मार्च, 2026

आदेश सं०-5/आरोप-1-33/2015 का०-1584--श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से० (को०क्र०- 261/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरौ, लोहरदगा के विरुद्ध एक युवती के द्वारा यौन शोषण की प्राथमिकी लोहरदगा महिला थाना में कांड संख्या-23/2014, जी०आर० संख्या-299/2014 दर्ज कराया गया।

2. उक्त के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक- 7096, दिनांक- 07.08.2015 के द्वारा श्री विजय केरकेट्टा को असेैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम- 49क-(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

3. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा के पत्रांक- 570 दिनांक- 11.05.2016 के द्वारा सूचित किया गया कि लोहरदगा महिला थाना में कांड संख्या- 93/2014, दिनांक- 13.06.14 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री विजय केरकेट्टा को दिनांक- 21.08.2015 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

उक्त के क्रम में पुनः विभागीय आदेश संख्या-7677, दिनांक- 02.09.2016 के द्वारा न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 21.08.2015 से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के अंतर्गत अगले आदेश तक निलंबन को जारी रखा गया।

4. श्री केरकेट्टा के द्वारा आवेदन, दिनांक-28.07.2017 एवं दिनांक-01.08.2017 के द्वारा लोहरदगा थाना कांड संख्या- 23/14 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा दिनांक- 19.07.2017 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए अंकित किया गया कि माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें बेगुनाह पाते हुए बरी कर दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

5. श्री केरकेट्टा के उपरोक्त आवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-9489, दिनांक-01.09.2017 के द्वारा लोहरदगा थाना कांड संख्या- 23/14 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा दिनांक- 19.07.2017 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर किये जाने तथा उक्त आलोक में श्री केरकेट्टा को आरोप मुक्त किया जा सकता है?, के संबंध में प्रतिवेदन की मांग उपायुक्त, लोहरदगा से की गयी।
6. उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक- 130(i), दिनांक- 18.10.2017(पृ० 126/प०) के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, लोहरदगा के न्यायालय में दायर उक्त वाद के विरुद्ध कोई भी अपील अभियोजन की ओर से दाखिल नहीं की गयी है तथा श्री केरकेट्टा को उक्त न्यायिक आदेश के अनुरूप आरोप मुक्त करने की कार्रवाई विभागीय स्तर पर की जा सकती है।
7. लोहरदगा थाना कांड संख्या- 23/14 में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वारा दिनांक- 19.07.2017 को पारित न्यायादेश एवं उपायुक्त, लोहरदगा से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-11928, दिनांक-06.12.2017 के द्वारा श्री केरकेट्टा को निलंबन मुक्त किया गया।
8. उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक- 56/ स्था०, दिनांक- 02.02.2024 के द्वारा श्री विजय केरकेट्टा के निलंबन अवधि का सेवा विनियमन करने हेतु उनका आवेदन को इस विभाग को भेजा गया। साथ ही विभागीय पत्रांक- 4097, दिनांक- 08.06.2018 के क्रम में अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पत्रांक-442, दिनांक- 01.09.2018 के द्वारा श्री केरकेट्टा का अनुपस्थिति विवरणी इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी।
9. श्री केरकेट्टा के निलंबन अवधि के संबंध में सेवा विनियमन के बिन्दु पर परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता को भेजी गयी। विधि विभाग के माध्यम विद्वान महाधिवक्ता से निम्नवत् परामर्श प्राप्त हुआ-

"-----But at the same time in my opinion the Officer is entitled for regularisation of the period in question for all purposes except the full back wages in the facts of the present case.

Opinion solicited stands answered accordingly."

10. उक्त परामर्श के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-4125, दिनांक- 28.05.2019 के द्वारा श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से० (को० क्र०-261/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो, लोहरदगा की निलंबन अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97 के अन्तर्गत निम्नांकित रूप से विनियमित किया गया:-

(क) दिनांक- 07.08.2015 से 20.08.2015 एवं दिनांक- 20.07.2017 से 06.12.2017 तक की निलंबन अवधि में इन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ख) दिनांक- 21.08.2015 से 19.07.2017 तक हिरासत में बिताई गयी अवधि हेतु इन्हें जीवन यापन भत्ता भी देय नहीं होगा।

(ग) दिनांक- 07.08.2015 से 06.12.2017 तक की अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गई अवधि मानी जायेगी।

11. श्री केरकेट्टा के द्वारा विभागीय आदेश संख्या- 4125, दिनांक- 28.05.2019 को निरस्त करने एवं निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन का भुगतान करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका WP(S) No-3277/2019 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया।

12. WP(S) No-3277/2019 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.05.2023 को निम्नवत् न्यायादेश पारित किया गयाः

"-----9. In the instant case, petitioner was neither dismissed from service nor was he convicted in the criminal case. He was only suspended on the ground of criminal case and in criminal case he was honorably acquitted, hence, he is entitled for full salary of the period of suspension.

10. As a squitter to the aforesaid observations, rules, guidelines, legal propositions and judicial pronouncements, the impugned order dated 28.05.2019 being not tenable in the eyes of law, is hereby modified to the extent that the petitioner shall be entitled for full salary for the period he remained under suspension. The respondents are directed to pay full salary to the petitioner for period from 07.08.2015 to 06.12.2017, by adjusting the amount already paid, within a period of 12 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

11. With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands allowed."

13. WP(S) No.-3277/2019 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.05.2023 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त होने के उपरांत विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No 122/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विजय केरकेट्टा दायर किया गया।

14. LPA No.- 122/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विजय केरकेट्टा में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 05.06.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा विभाग की ओर से दायर उक्त LPA No.- 122/2024 को निरस्त कर दिया गया है।

15. विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श / मंतव्य के उपरांत LPA No.- 122/2024 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विजय केरकेट्टा में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 05.06.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विभाग की ओर से SLP(Civil) Diary No.- 126/2026 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विजय केरकेट्टा दायर किया गया।

16. SLP(Civil) Diary No.- 126/2026 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम विजय केरकेट्टा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 23.01.2026 को पारित न्यायादेश के द्वारा उक्त SLP(Civil) Diary No.- 126/2026 को निरस्त कर दिया गया है। पारित न्यायादेश निम्नवत् हैः

"1. Delay Condoned.

2. Having heard learned counsel for the petitioner(s), we are not inclined to entertain this Special Leave Petition. Accordingly, the Special Leave Petition stands dismissed.

3. Pending application(s), if any, shall stand disposed of."

17. उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक मामले में श्री विजय केरकेट्टा के द्वारा WP(S) No-3277/2019 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 08.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont.(Civil) Case No-1240/2025 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है।

18. अतः समीक्षोपरान्त, उपर वर्णित न्यायादेशों के आलोक में श्री विजय केरकेट्टा के निलंबन अवधि, दिनांक-07.08.2015 से 06.12.2017 तक, के संबंध में निम्नवत् निर्णय लिया जाता है-

(क) WP(S) No-3277/2019 विजय केरकेट्टा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 08.05.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री विजय केरकेट्टा, झा०प्र०से०(को० क्र०-261/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कैरो, लोहरदगा की निलंबन अवधि, दिनांक-07.08.2015 से 06.12.2017 तक, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97 तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

(ख) श्री विजय केरकेट्टा को निलंबन अवधि में पूर्व में की गयी भुगतान की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

19. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(चिन्टू दोराईबुरु)

सरकार के संयुक्त सचिव ।
